

कार्यालय सेनानी,
वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पत्रालय-गौचर, जिला-चमोली
(उत्तराखण्ड)



अजेय अष्टम
INVINCIBLE EIGHT

OFFICE OF THE COMMANDANT
8TH BN. I.T.B.POLICE FORCE
MHA/ GOVT. OF INDIA PO-
GAUCHER, DISTT- CHAMOLI
(UTTARAKHAND)

संख्या/08वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0/अभि0/फायरिंग/ए-10/2023-1406

दिनांक - 01-04-24

To,
Asstt. Media Executive
Bureau of Outreach and Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India, Soochna Bhawan, Phase-IV,
C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

बिषय - अधिसूचना प्रकाशन के अन्दर्भ में।

महोदय,

आपसे निवेदन है कि 8वीं वाहिनी की फायरिंग रेंज के नवीनीकरण के प्रस्ताव के अर्न्तगत में उपर जिलाधिकारी, जिला-चमौली (उत्तराखण्ड) द्वारा वाहिनी को प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मैनुवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 के प्राविधानानुसार प्रस्ताव के साथ अनापत्ति सूचना तीन (03) स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सूचना को स्थानीय तीन (03) समाचार पत्रों में सरकारी न्यूनतम दरों पर दिनांक 20.04.2024 तक के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें

ITBP

सूचना

मैनुवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 की धारा 9 और उपधारा 7 के प्राविधानानुसार 8वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल गौचर जिला-चमौली उत्तराखण्ड में फायरिंग रेंज की अधिसूचना आगामी 5वर्ष हेतु निर्गत होनी है जिसमें 8वीं वाहिनी के फायरिंग रेंज के निकटतम स्थित ग्राम सभा प्रधान, वार्ड मैम्बरों और ग्रामवासियों को यदि फायरिंग रेंज को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में 30 दिन के अन्दर उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग चमोली को सूचित करें।

अन्यथा 30 दिनों के अन्दर सूचना न मिलने पर 8वीं वाहिनी कैम्प परिसर, रावलनगर (उत्तराखण्ड) के फायरिंग रेंज की अधिसूचना उत्तराखण्ड, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

कार्यालयीय/अध्यक्ष

आठवीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0
गौचर (उत्तराखण्ड)

CB C 19112/11/0036/2425